बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–83/2020.........1149 पटना, दिनांकः–08/05/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, बांका के पत्रांक 162 दिनांक 16.02.2023 द्वारा श्री सुमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04038) के विरूद्ध यह प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 23.04.2022 से राजस्व ग्राम भलुआ का खानापुरी कार्य करने हेतु बार–बार निदेश दिया गया, इसके बावजूद 285 दिनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा खानापुरी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। साथ ही यह प्रतिवेदित किया गया है कि शिविर प्रभारी एवं बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा बार–बार पूछे गए स्पष्टीकरण का जबाब भी इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। उक्त आरोप के आलोक में इनकी सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1910 दिनांक 28.02.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग इस शर्त्त के साथ की गयी है कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी आरोपित द्वारा 02 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनपर अनुशासनहीनता का जो आरोप लगाया गया है, वह सत्य है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आरोपित को दिनांक 13.12.2022 को दिनांक 20.12.2022 तक खानापुरी कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी गयी थी, जिसमें आरोपित द्वारा उक्त अवधि तक कार्य पूर्ण करने की सहमति दी गयी। इसके बावजूद भी इनके द्वारा प्रतिवेदित आरोप की तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इसके पूर्व भी स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने एवं 150 दिनों के बाद की अवधि तक खानापुरी कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके माह–अक्टूबर, 2022 के पूर्ण माह के मानदेय की कटौती की गयी है। इससे स्पष्ट है कि आरोपित द्वारा कार्य की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। साथ इनके द्वारा सहमति देने के बाद भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जाना घोर लापरवाही का द्योतक है। बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा वरीय पदाधिकारियों के निदेश के अवहेलना करने के ये आदती हैं।

बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। ऐसे कर्मियों के सेवा में रहने से उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं किया जा सकता है। साथ ही इनके इस तरह के कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इन्हें सेवा में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)"** के आलोक में श्री सुमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04038) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

8/5/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–83 / 2020...1149 **पटना, दिनांक** :–08/05/2023

प्रतिलिपि :– श्री सुमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN04038), बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–83 / 2020...1149 **पटना, दिनांक** :–08/05/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(बांका)–83 / 2020...1149 **पटना, दिनांक** :–08/05/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप